


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-13/अ0प्र0-09-02/2025 491 /पटना, दिनांक 2-9-25


योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा वार्षिक स्कीम 2025-26 अंतर्गत व्यय के समीक्षा हेतु आहूत होने वाले मासिक बैठक में भाग लेने हेतु नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड, ग्रामीण कार्य विभाग और नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण कार्य विभाग को स्थायी रूप से को नामित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-09-02/2025 5493 /पटना, दिनांक- 2-9-25

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/ नोडल पदाधिकारी, नाबार्ड / नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना /आई0टी0 मैनेजर ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

